

**भाग-III****हरियाणा सरकार**

पुरातत्व तथा संग्रहालय विभाग

**अधिसूचना**

दिनांक 29 मार्च, 2019

**संख्या सांका०नि० 20/संविधान/अनु० 309/2019** - भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य पुरातत्व विभाग (ग्रुप ख) सेवा नियम, 1980, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. ये नियम हरियाणा राज्य पुरातत्व विभाग (ग्रुप ख) सेवा (संशोधन) नियम, 2019, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा राज्य पुरातत्व विभाग (ग्रुप ख) सेवा नियम, 1980, (जिन्हें इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 5 में, "40 वर्ष" अंकों तथा शब्द के स्थान पर, "बयालीस वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।
3. उक्त नियमों में, परिशिष्ट ख में, खाना 3 के नीचे, विद्यमान खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ग) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत"।

धीरा खण्डेलवाल,  
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
पुरातत्व तथा संग्रहालय विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT**  
ARCHAEOLOGY AND MUSEUMS DEPARTMENT

**Notification**

The 29th March, 2019

**No. G.S.R. 20/Const./Art. 309/2019.**— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana, hereby makes the following rules further to amend the Haryana State Archaeology (Group B) Service Rules, 1980, namely:-

1. These rules may be called the Haryana State Archaeology (Group B) Service (Amendment) Rules, 2019.
2. In the Haryana State Archaeology (Group B) Service Rules, 1980, (hereinafter called the said rules), in rule 5, for the figure “40”, the word and sign “forty-two” shall be substituted.
3. In the said rules, in Appendix B, under column 3, for clause (c) the following clause shall be substituted, namely:-  
“(c) Hindi/Sanskrit upto Matric Standard or Higher Education”.

DHEERA KHANDELWAL,  
Additional Chief Secretary to Government Haryana,  
Archaeology and Museums Department.

**हरियाणा सरकार**

पुरातत्व तथा संग्रहालय विभाग

**अधिसूचना**

दिनांक 8 जुलाई, 2022

**संख्या सांकांनि० 130/संवि०/अनु० 309/2022.**— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य पुरातत्व (ग्रुप ख) सेवा नियम, 1980, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. ये नियम हरियाणा राज्य पुरातत्व (ग्रुप ख) सेवा (संशोधन) नियम, 2022, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा राज्य पुरातत्व (ग्रुप ख) सेवा नियम, 1980 में, नियम 5 में, "21" अंकों के स्थान पर, "अठारह" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

एस० एन० राय,  
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
पुरातत्व तथा संग्रहालय विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT**  
**ARCHAEOLOGY AND MUSEUMS DEPARTMENT**

**Notification**

The 8th July, 2022

**No. G.S.R. 130/Const./Art. 309/2022.**— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana, hereby makes the following rules further to amend the Haryana State Archaeology (Group B) Service Rules, 1980, namely:—

1. These rules may be called the Haryana State Archaeology (Group B) Service (Amendment) Rules, 2022.
2. In the Haryana State Archaeology (Group B) Service Rules, 1980, in rule 5, for the figure “21”, the word “eighteen” shall be substituted.

S. N. ROY,  
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,  
Archaeology and Museums Department.